फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी,
श्री बलवन्तसिंह सोलंकी निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक अतिरिक्त जिला क

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकद

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा ल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 28.02.2022, को पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत झाडौली तह. पिण्डवाडा एलोपेथी एवं आयुर्वेद अस्पताल लम्बे समय से कार्यरत है लेकिन उचित उपभोक्ता भण्डार की दुकान नहीं है एवं राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी अ पास उचित मूल्य की उपभोक्ता भण्डार खोलने के आदेश है। अतः उक्त प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अ निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 28.02.2022, को एक प्रार्थना निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत झाडौली तह. पिण्डवाडा में सरकारी आयुर्वेद अस्पताल लम्बे समय [illegible] है लेकिन उचित मूल्य की उपभो की दुकान नहीं है [illegible] सरकारी अस्पताल के पास की उपभोक्ता भण्डार खोलने के आदेश है। अतः उक्त [illegible] की प्रमा सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने प होता है कि उपरोक्त सूचना कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि एवं कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग सिरोही से सम्बन्धित होने से अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:29:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner